# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

**पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.**

**राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./52/2025/बाड़मेर**

| अपीलांट | बनाम | रेस्पोडेंटगण |
|---|---|---|
| 1. अशोक कुमार पुत्र नाथाराम<br>2. जयन्ति कुमार पुत्र नाथाराम<br>3. दिनेश कुमार पुत्र नाथाराम<br>4. महेन्द्र कुमार पुत्र नाथाराम<br>5. रमेश कुमार पुत्र नाथाराम<br>6. राजाराम पुत्र नाथाराम<br>7. लाधाराम पुत्र नाथाराम<br>8. समदादेवी पत्नी नाथाराम<br>9. सांकलाराम पुत्र दीपाराम, जाति कलबी, निवासी भेडाणा, तहसील गुडामालानी, जिला बाड़मेर। | | 1. कलाराम पुत्र हीराराम<br>2. गेनाराम पुत्र हीराराम<br>3. करनाराम पुत्र हीराराम, जाति कलबी, निवासी भेडाणा, तहसील गुडामालानी, जिला बाड़मेर।<br>4. शाखा प्रबंधक, द सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक शाखा गुडामालानी, जिला बाड़मेर।<br>5. श्रीमान तहसीलदार, गुडामालानी, जिला बाड़मेर। |

**अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 2024/508 बउनवान कलाराम वगैरह बनाम अशोक कुमार वगैरह में पारित आदेश दिनांक 17.04.2025 के विरूद्ध पेश हुई ।**

**उपस्थितः–**

1. वकील श्री खेताराम सैन अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री नारायण कुमावत रेस्पो. संख्या 1 से 3 की ओर से।
3. शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

## –:निर्णयः–

**दिनांकः–09.09.2025**

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/रेस्पो. संख्या 01 से 03 द्वारा अपने खातेदारी आराजी जो कि मौजा भेडाणा, तह. गुड़ामालानी के खसरा संख्या 729 रकबा 3.5612 आयी हुई है। जिसमें आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251– ए के अन्तर्गत एक आवेदन पेश किया। उक्त आवेदन में हमारे पडोस में विप्रार्थीगण/अपीलांट्स के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 722 रकबा 0.6232 जो प्रार्थीगण/रेस्पों. के खेत एवं सड़क के मध्य में पड़ता है जिस हेतु रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण/रेस्पो. संख्या 01 से 03 द्वारा अपने खातेदारी आराजी जो कि मौजा भेडाणा, तह. गुड़ामालानी के खसरा संख्या 729 रकबा 3.5612 आयी हुई है। जिसमें आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251– ए के अन्तर्गत एक आवेदन पेश किया। उक्त आवेदन में हमारे पड़ोस में विप्रार्थीगण/अपीलांट्स के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 722 रकबा 0.6232 जो प्रार्थीगण/रेस्पों. के खेत एवं सड़क के मध्य में पड़ता है जिस हेतु रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार, गुडामालानी द्वारा मौका रिपोर्ट तलब की गई। जिस पर तहसीलदार स्वयं द्वारा मौके पर नहीं जाकर हल्का पटवारी व आर.आई. द्वारा मौका रिपोर्ट तलब की गई। उक्त मौका रिपोर्ट एकतरफा तैयार की गई है जिसमें अपीलांट या किसी पड़ोसियान व मौतबिरान के हस्ताक्षर नहीं हैं। मौका रिपोर्ट अपीलांट की अनुपस्थिति में रेस्पों. संख्या 1 से 3 के दबाव में रहते हुए तैयार की गई है। मौका रिपोर्ट में अपीलांट के आलमात के बारे में कोई हवाला नहीं दिया गया है, जबकि प्रस्तावित रास्ते की भूमि पर अपीलांट के चारावाड़ा व पशुबाड़ा बना हुआ है। उक्त एकतरफा मौका रिपोर्ट के बारे में अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आपत्ति दर्ज करवायी गई थी किन्तु उक्त आपत्ति को नजर अंदाज करते हुए प्रश्नगत एकपक्षीय मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए के अनुसार पूर्व से प्रयोग में लिये जा रहे कदीमी रास्ते को ही स्वीकृत किया जाता है, जबकि हस्तगत प्रकरण में इसके उलट है। प्रस्तावित रास्ते की जगह पहले से कोई रास्ता चलायमान नहीं है। फिर भी विधि के नियमों के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। प्रार्थीगण/रेस्पों. के खेत खसरा संख्या 729 में आने जाने हेतु पहले से खसरा संख्या 721 में से रास्ता उपलब्ध है। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा उक्त खसरा संख्या 721 से ना तो रास्ता प्रस्तावित किया है और ना ही उक्त खसरा संख्या 721 के पक्षकार को पक्षकार संयोजित किया है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण द्वारा केवल मात्र अपीलांट को तंग परेशान करने व रंजिश रखते हुए अपीलाधीन आवेदन प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट के खेत खसरा संख्या 722 के सेढा–सेढ ही खसरा संख्या 721 की भूमि है जिस कारण दोनों खसरों में से आधी–आधी भूमि का उपयोग किया जाना विधि अनुसार है परन्तु रेस्पों./प्रार्थीगण द्वारा केवल खसरा संख्या 721 के बजाय सम्पूर्ण भूमि खसरा संख्या 722 से चाहा गया है जो कतई विधि संगत नहीं है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यों को अनदेखा करते हुए दूषित मंशा से अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया है। प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स व राजस्व कर्मचारियों के मध्य अपीलांट/अप्रार्थी के विरूद्ध दुरभि संधि कर अपीलांट को नाहक नुकसान पहुंचाने के इरादे से अपीलाधीन आवेदन को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। उक्तानुसार समस्त कथनों से परे जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम जारी सम्मन पर अपीलांट की पर्याप्त तामील करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मजमे आम उभयपक्ष की उपस्थिति में पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोंडेण्टस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई निकटतम वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण/रेस्पों. को उसकी खातेदारी के खेत में आने–जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता को देखते हुए तहसीलदार द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन ओदश पारित किया गया है। हस्तगत प्रकरण में मौका रिपोर्ट तैयार करने से पहले अपीलांट को दिनांक 14.12.2024 को जरिये नोटिस सूचित किया जाकर दिनांक 21.12.2024 को मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। जिससे अपीलांट के उक्त उज्र का कोई सार नहीं है। उक्त मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 722 में से प्रस्तावित रास्ते को सबसे निकटतम दूरी का रास्ता होने से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधि संगत है। उक्तानुसार रेस्पोंडेंट को उक्त प्रस्तावित रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251– ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष की उपस्थिति में मजमे आम में बाद सुनवाई पश्चात पारित किया गया। उसके उपरांत हाजा न्यायालय द्वारा भी अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। मौका रिपोर्ट अनुसार आदेशित/प्रस्तावित रास्ते के अलावा प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के खेत तक पहुंचने के लिए कोई अन्य विकल्प/रास्ता नहीं है। प्रस्तावित रास्ता सुगम एवं निकटतम है। अपीलाधीन आदेश की पालना में प्रश्नगत रास्ते का राजस्व रेकर्ड में अंकन हो गया है। अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है जिसमें तकनीकी आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर रेस्पोडेंटस को मिले रास्ते के वैधानिक अधिकार से महरूम नहीं रखा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा उक्त खसरे तक पहुंचने हेतु कोई निकटतम विकल्प नहीं है। जहां तक अपीलांट का मौका रिपोर्ट से पूर्व सूचना नहीं देने का प्रश्न है तो उस संबंध में स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट तैयार करने से पहले अपीलांट को दिनांक 14.12.2024 को जरिये नोटिस सूचित किया जाकर दिनांक 21.12.2024 को मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। इसलिए अपीलांट के उक्त उज्र का कोई सार प्रतीत नहीं होता है। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में आपत्ति की है कि तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका नहीं देखा गया। जबकि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अपने अनेकों निणयों में यह प्रतिपादित किया गया है कि भू अभिलेख निरीक्षक रैंक के कर्मचारी द्वारा रास्ते के मामले में मौका देखा जाना न्यायसंगत है। राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

1955 के नियम 69 में वर्णित है कि आई.एल.आर. से कम रेंक के राजस्व अधिकारी द्वारा मौका नहीं देखा जाना चाहिये। इसलिए अपीलांट की उक्त आपत्ति में कोई सार नहीं है। यदि किसी खसरें में से पूर्व में रास्ता दिया गया है तो दूसरी बार रास्ता देने हेतु भी कोई विधि बाधित नहीं करती है। रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से दिया गया है रास्ता विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांटगण की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 2024/508 बउनवान कलाराम वगैरह बनाम अशोक कुमार वगैरह में पारित आदेश दिनांक 17.04.2025 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

9/9/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 09.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9/9/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर